

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] No. 1090] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

का.आ. 1225(अ).—केंद्रीय सरकार, कॉफ़ी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफ़ी अधिनियम, 1942 (1942 का VII) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 15 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3413(अ) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की जाने वाली अथवा किए जाने से लोप की जाने वाली बातों के सिवाय निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन साल की अवधि के लिए या जब तक नए व्यक्ति को उनकी जगह पर नियुक्त नहीं किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती, (जब तक कि किसी सदस्य के लिए अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो), राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, अर्थातु: -

नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड

1. श्री एम. एस. बोजे गौड़ा

- अध्यक्ष

नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत नियुक्त संसद सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य और राज्यसभा से एक सदस्य )

 सुश्री शोभा करंदलाजे , संसद सदस्य,

लोक सभा ।

-सदस्य

(वह 16वीं लोक सभा के अवसान अथवा उनकी लोकसभा सदस्यता की समाप्ति, इनमे से जो भी पूर्ववर्ती हो, तक पद

धारण करेंगी)

 श्रीमती शकुंतला लागुरी , संसद सदस्य, लोक सभा

-सदस्य

(वह 16वीं लोक सभा के अवसान अथवा उनकी लोकसभा सदस्यता की समाप्ति, इनमे से जो भी पहले हो, तक पद धारण करेंगी)

त्रारण (1)

1562 GI/2019

4. श्री के. आर. अर्जुनन, संसद सदस्य, राज्य सभा (वह 24.7.2019 अथवा उनकी राज्य सभा सदस्यता की समाप्ति, इनमें से जो भी पहले हो, तक पद धारण करेंगे)

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि।

 कृषि उत्पादन आयुक्त तथा तमिलनाडु सरकार के प्रधान सचिव, कृषि विभाग, चेन्नई। -सदस्य

 सचिव, कर्नाटक सरकार बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु

-सदस्य

7 प्रधान सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त , केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल ।

-सदस्य

8 रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त बड़े कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि।

9. <del>रिक्त</del>

10. रिक्त

11. रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त छोटे कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि।

**12.** रिक्त

13. रिक्त

14. रिक्त

**15**. रिक्त

16. रिक्त

**17** रिक्त

18 रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) अधीन नियुक्त कॉफी व्यापार हितों के प्रतिनिधि।

**19.** रिक्त

**20**. रिक्त

21. रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त संसाधन स्थापना के प्रतिनिधि।

22. रिक्त

23. रिक्त

नियम -3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त श्रमिक हितों के प्रतिनिधि

**24**. रिक्त

25. रिक्त

26. रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कॉफ़ी बोर्ड के सचिव।

27. सचिव, कॉफी बोर्ड,

बेंगलुरु, कर्नाटक।

- पदेन सदस्य

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों को छोड़कर कॉफी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि।

28. अपर मुख्य सचिव,

उद्योग और वाणिज्य विभाग,

त्रिपुरा सरकार ।

-सदस्य

29. सचिव, असम सरकार

उद्योग और वाणिज्य विभाग,

असम सरकार।

-सदस्य

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियक्त उपभोक्ता हित के प्रतिनिधि।

30. रिक्त

31. रिक्त

नियम 3 के उप-नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त इन्सटन्ट कॉफी विनिर्माताओं के प्रतिनिधि।

32. रिक्त

नियम 3 के उप नियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कॉफी के अनुसंधान संस्थान या कृषि विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अथवा विपणन प्रबंधन अथवा संवर्धन में प्रतिष्ठित व्यक्ति

33. रिक्त

[फा. सं. 02/01/2018-बागान-ख]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

**S.O. 1225(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (VII of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, and in supersession of the notification of the Government of India in Ministry of Commerce and Industry vide number S.O. 3413(E), dated the 15<sup>th</sup> December, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby appoints the following persons as Chairman and members of the Coffee Board for a period of three years or until a new person is appointed in his place whichever is earlier (unless otherwise specified against a member) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

Chairman, Coffee Board appointed under sub-rule (1) of rule 3.

1. Shri. M. S. Boje Gowda

-Chairman

Members of Parliament (Two Members from Lok Sabha and One Member from Rajya Sabha) appointed under sub-rule (1) of rule 3.

2. Ms. Shobha Karandlaje,

-Member

Member of Parliament,

(She shall hold office up to expire of 16<sup>th</sup> Lok Sabha or till she ceases to be a member of

Lok Sabha.

Lok Sabha, whichever is earlier).

3. Smt. Sakuntala Laguri, -Member expire of Member of Parliament, (She shall hold office up to 16<sup>th</sup> Lok Sabha or till she ceases to be a member of Lok Sabha. Lok Sabha, whichever is earlier). 4. Shri.K.R. Arjunan, (He shall hold office up to 24.7.2019 or till he ceases to be a member of Rajya Sabha, whichever is Member of Parliament, earlier). Rajya Sabha.

Representatives of Governments of principal coffee growing States appointed under clause (a) of sub-rule (2) of rule 3.

5. The Agriculture Production Commissioner

-Member

and Principal Secretary to Government of Tamil Nadu,

Agriculture Department, Chennai.

6. Secretary to Government,

-Member

Horticulture and Sericulture Department,

Government of Karnataka, Bengaluru.

7. Principal Secretary and Agriculture Production Commissioner, -Member

Government of Kerala,

Thiruvananthapuram, Kerala.

8. Vacant.

Representatives of large coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 3.

- Vacant
- 10. Vacant
- 11. Vacant

Representatives of small coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 3.

- 12. Vacant
- 13. Vacant
- 14. Vacant
- 15. Vacant
- 16. Vacant
- 17. Vacant
- 18. Vacant

Representatives of coffee trade interests appointed under clause (c) sub-rule (2) of rule 3.

- 19. Vacant
- 20. Vacant
- 21. Vacant

Representatives of curing establishment appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

- 22. Vacant
- 23. Vacant

Representatives of labour interests appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule-3.

- 24. Vacant
- 25. Vacant
- 26. Vacant

Secretary to the Coffee Board appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

27. Secretary, Coffee Board,

Bengaluru, Karnataka.

- Ex-Officio Member

Representatives of coffee growing States other than principal coffee growing States appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

28. The Additional Chief Secretary,

Department of Industries & Commerce,

Government of Tripura.

-Member

29. Secretary to the Government of Assam,

Industries and Commerce Department,

Government of Assam.

-Member

Representatives of consumer's interest appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

- 30. Vacant
- 31. Vacant

Representatives of instant coffee manufacturers appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

32. Vacant

Eminent scientist from a Research Institute or an Agricultural University or an eminent personality in marketing management or promotion of coffee appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3.

33. Vacant

[F. No. 02/01/2018-Plant-B]

B. PRAVEEN, Jt. Secy.



#### अमाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2019/ज्येष्ठ 1, 1941

No. 1604]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941

### वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2019

का.आ. 1796(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी नियम 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उनके नाम के आगे विनिर्दिष्ट अविध के लिए कॉफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. – 1225 (अ) तारीख 8 मार्च, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:

- (ii) उक्त अधिसूचना में शीर्षक 'नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त बड़े कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि' के अधीन क्रम सं. 9 और 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात: -
  - "9. श्री टी. टी. जॉन, हांचीकर एस्टेट, पो बा. सं. -51, पोलीबेट्टा, एस. कोडागू, कर्नाटक 571215,

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे)

10. श्री जमपाना श्री रामाराजू, सि. न.-24, मानचेनाहल्ली, रेयान स्कूल के निकट, एयर फोर्स स्टेशन के पीछे, येलाहंका, बैंगलुरू नार्थ, कर्नाटक 560063. (वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे) ".

2568 GI/2019 (1)

(iii) शीर्षक 'नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त छोटे कॉफी उत्पादकों के प्रतिनिधि' के अधीन क्रम सं. 12 और 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्: -

"12. डा.जी.एस.महाबाला, मधुरा नियालय, एस.वी.टी, कोप्पा, चिकमंगलूर, कर्नाटक -577 126.

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे)

श्री मैकमाडा दल्ली चंगप्पा,
 602 12 वां मेन, एचएएल
 2 वाँ स्टेज,
 बैंगल्रू-560008.

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे) ".

- (iv) शीर्षक 'नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त श्रमिक हितों के प्रतिनिधि' के अधीन क्रम सं. 24 और 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों रखी जाएगी, अर्थात् : -
  - "24. श्री मुंढे दयाजेवा सीताराम उधोराव पाटिल विद्यालय के पीछे हिमायत बाग कार्नर, हरसुल रोल,

औरंगाबाद, महाराष्ट्र

 श्री शशिकांत सोनी सी/ओ लिटिल नर्सरी स्कूल लाल कुआ, हनुमंतल बोर्ड

लाल कुआ, हनुमतल ब जबलपुर, मध्यप्रदेश (वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे) ".

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे)

- (v) शीर्षक 'नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के तहत नियुक्त उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि' के अधीन क्रम सं. 30 और 31 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्: -
  - "30. श्री नरेन्द्र वैश्मपायन,

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे)

ए-401 एजे क्लासिक एप्ट, क्रम सं. .2, प्लांट सं.-1-5, कार्वेनगर पुणे -411052.

31. श्री जंयत रेड्डी के ,

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे) ".

हा. नं.: 3-12-ए, जयानगर कालोनी कस्तूरी कालेज ऑफ फिजियोथैरेपी के पीछे, अनंतपुर , आंध्र प्रदेश - 515002

- (vi) शीर्षक 'नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किसी अनुसंधान संस्थान या किसी कृषि विश्वविद्यालय के विख्यात वैज्ञानिक या कॉफी के विपणन प्रबंधन अथवा संवर्धन का विख्यात व्यक्ति' के अधीन, क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात: -
  - "33. डा. माधव नायडू,

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे) ".

प्रमुख, मसाला और फ्लेवर विज्ञान विभाग, सीएफटीआरआई, मैसूर – 570020.

[फा. सं. 02/01/2018-बागान – ख]

बी. प्रवीण, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd May, 2019

- **S.O. 1796(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coffee Board for a period specified against their names with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O- 1225 (E) dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, namely:-
- (ii) In the said notification, under the heading 'Representatives of large coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule(2) of rule 3', for serial numbers 9 and 10 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"9. Shri. T. T. John, Hanchikar Estate, Post Box No-51, Pollibetta, S. Kodagu, Karnataka 571215, (He shall hold office up to the  $7^{th}$  day of March, 2022)

 Shri. Jampana Shri Ramaraju, Sy No-24, Manchenahalli, (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)".

Near Ryan School, Behind Airforce Station, Yelahanka,

Bengaluru North, Karnataka 560063,

(iii) under the heading 'Representatives of small coffee growers appointed under clause (b) of sub-rule(2) of rule 3', for serial number 12 and 13 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"12. Dr.G.S.Mahabala, Madhura Nialaya, S.V.T.Road, Koppa, Chickmagalore,

Karnataka-577 126.

(He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)

 Shri. Macchamada Dalli Changappa, 602 12<sup>th</sup> Main, HAL 2<sup>ND</sup> Stage, Bengaluru-560008.

(He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)".

(iv) under the heading 'Representatives of labour interest appointed under clause (c) of sub-rule(2) of rule 3', for serial numbers 24 and 25 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"24. Shri. Mundhe Dnyanoba Sitaram Behind uddhavrao Patil Vidyalaya Himayat Bag Corner, Hursul Road, Aurangabad, Maharashtra. (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)

25. Shri. Sasikant Soni C/o Liitle Nursery School Lal Kuan, Hanumantaal Ward Jabalpur, Madhya Pradesh (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)".

(v) under the heading 'Representative of consumer's interest appointed under clause (c) of sub-rule (2) of rule 3' for serial numbers 30 and 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be submitted, namely:-

"30. Shri. Narendra Vaishampayan, A401 AJ Classic Apt, Sr No.2, Pl No.-1-5, Karve Nagar, Pune-411052. (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)

31. Shri. Jayant Reddy K, HNO: 3-12-A, Jayanagar Colony Behind Kasturi College of physiotherapy, Anantapur, Andhra Pradesh- 515002 (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)".

(vi) under the heading 'Eminent scientist from a Research Institute or an Agricultural University or an eminent personality in marketing management or promotion of coffee appointed under clause (c) of subrule(2) of rule 3', for serial number 33 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"33. Dr. Madhava Naidu, Head, Deptt. Of Spice and Flavor Science, CFTRI, Mysuru – 570020. (He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> day of March, 2022)".

[F. No. 02/01/2018-Plant-B] B. PRAVEEN, Jt. Secy.



### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3105] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2019/भाद 29, 1941 No. 3105] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2019/BHADRA 29, 1941

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2019

का.आ. 3411(अ).—केंद्रीय सरकार कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप–नियम (1) के साथ पठित काफी अधिनियम 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को काफी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1225(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक 2, संख्यांक 3 और संख्यांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

'2. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद. —सदस्य

संसद सदस्य, (वह 07 मार्च, 2022 या लोकसभा के सदस्य से प्रविरत हो जाने तक,

लोक सभा इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे)।

3. श्री प्रताप सिम्हा. —सदस्य

संसद सदस्य, (वह 07 मार्च, 2022 या लोकसभा के सदस्य से प्रविरत हो जाने तक,

लोक सभा इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे)।

4. श्री ए. विजयकुमार, —सदस्य

संसद सदस्य, (वह 07 मार्च, 2022 या राज्य सभा के सदस्य से प्रविरत हो जाने तक,

राज्य सभा इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे )"।

[फा. सं. 02/01/2018–बागान-ख]

दर्पण जैन, संयुक्त सचिव

4905 GI/2019 (1)

टिप्पण: बोर्ड के गठन संबंधी मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1225(अ) तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात का.आ. 1796(अ), तारीख 22 मई, 2019 द्वारा संशोधित की गई।

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

## (Department of Commerce)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2019

**S.O. 3411(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following persons as members of the Coffee Board and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number S.O. 1225(E) dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, namely:—

In the said notification, for serial numbers 2, 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

"2.	Shri V. Srinivas Prasad,	—Member
	Member of Parliament,	(He shall hold office up to the 7 <sup>th</sup> March, 2022 or till he ceases to be a member of Lok Sabha, whichever is earlier).
	Lok Sabha.	
3.	Shri Prathap Simha,	—Member
	Member of Parliament,	(He shall hold office up to the 7 <sup>th</sup> March, 2022 or till he ceases to be a member of Lok Sabha, whichever is earlier).
	Lok Sabha.	
4	Shri A. Vijayakumar,	—Member
	Member of Parliament,	(He shall hold office up to the 7 <sup>th</sup> March, 2022 or till he ceases to be a member of Rajya Sabha, whichever is earlier)".
	Raiva Sabha.	

[F. No. 02/01/2018-Plant-B]

DARPAN JAIN, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification constituting the Board was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1225(E), dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, and subsequently amended by S.O. 1796(E), dated the 22<sup>nd</sup> May, 2019.



### असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3899]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2019/अग्रहायण 13, 1941

No. 38991

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2019/AGRAHAYANA 13, 1941

### वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4343(अ).—केन्द्रीय सरकार, कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति को कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार की तारीख 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1225(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएंगी. अर्थात :-

"11. श्री शेकर नागराजन - सदस्य

(वह 7 मार्च, 2022 तक पद धारण करेंगे)"

[फा. सं. 02/01/2018-बागान-ख]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण**: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्याक का.आ. 1225(अ), तारीख 8 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया:-

- (1) का.आ. 1796(अ), तारीख 22 मई, 2019; और
- (2) का.आ. 3411(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2019

6242 GI/2019 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

# (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2019

**S.O. 4343** (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the following person as member of the Coffee Board and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), number S.O. 1225 (E) dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, namely:-

In the said notification, for serial number 11 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall respectively be substituted, namely:-

"11. Shri Shaker Nagarajan. -Member

(He shall hold office up to the 7<sup>th</sup> March, 2022)."

[F. No. 02/01/2018-Plant-B]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

**Note**: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1225(E), dated the 8<sup>th</sup> March, 2019, and subsequently amended as follows:-

- (1) S.O. 1796(E) dated the  $22^{nd}$  May, 2019; and
- (2) S.O. 3411(E) dated 19<sup>th</sup> September, 2019.